



उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-49/2023/2508(2)/77-6-2023-6002(099)/3/2021पार्ट-1

लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2023

संशोधन/शुद्धि-पत्र

पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 05 इकाईयों के लिए रु.23,01,000.00 की वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-48/2023/2508/77-6-2023-6002(099)/3/2021पार्ट-1 दिनांक 25 अगस्त, 2023 के प्रस्तर-3 में अंकित कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या < >, दिनांक जुलाई, 2023 के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा उत्पन्न कम्प्यूटर संख्या-E-6-69-X-2023-24, दिनांक 22-08-2023 पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

जय वीर सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2023/2508(3)/77-6-2023-6002(099)/3/2021पार्ट-1तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 5- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम कानपुर।
- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10- नियोजन अनुभाग-1/4
- 11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।